

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(औ. सं. एवं क. अनुभाग/IR&W SECTION)

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग/C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400 001
(☎ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail - irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No.- 2204 8476
& 2202 6728

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

सं./No.7/9/2012/आइआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 250

अगस्त/August, 16 2012

विषय : सेवानिवृत्ति के पश्चात अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (अंस्वासेयो) का जारी रखना -
प्राथमिक लाभार्थी सदस्यता को पति/पत्नी हेतु बदलना।

**Sub : Continuance under CHSS after retirement - shifting of prime
beneficiary membership to the spouse.**

अधोहस्ताक्षरी को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (अंस्वासेयो) 1998 के खंड 13.7 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। पति तथा पत्नी दोनों के परमाणु ऊर्जा विभाग कर्मचारी होने की स्थिति में नियम 13.7 के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार इन दोनों में से केवल किसी एक का अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (अंस्वासेयो) का अंशदान वसूली-योग्य है। आगे, पति तथा पत्नी में से किसी एक की सेवानिवृत्ति पर, प्राथमिक लाभार्थी सदस्यता का निर्णय करते समय, परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 12/11/2002 के नोट सं. 7/14/98-अंस्वासेयो/आइआरएंडडब्ल्यू/317 के द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों का अनुसरण किया जाए। तथापि, कुछ इकाइयों ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी से प्राथमिक लाभार्थी की सदस्यता सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिये जाने के बारे में स्पष्टीकरण माँगे हैं, जिस पर विभाग में विचार किया गया है तथा पऊवि के दिनांक 12/11/2002 के 'बिन्दु ए' में निम्नानुसार विस्तार किया जाता है :


The undersigned is directed to refer Clause no. 13.7 of Contributory Health Service Scheme, 1998. In a case where both husband and wife are DAE employees; CHSS contribution from only one of them is recoverable, following the guidelines given under Rule 13.7. Further, the detailed instructions to be followed while deciding the prime beneficiary membership, when either of the spouse retires from service were issued vide DAE note no. 7/14/98-CHSS/IR&W/317 dated 12/11/2002. However, some units have sought clarifications regarding shifting of Prime beneficiary membership from a retiring employee to a retired employee, which have been considered in the Department and 'Point A' of DAE note dated 12/11/2002 is extended further as follows :

2...../-

"यदि पति तथा पत्नी दोनों अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (अंस्वासेयो) के लाभार्थी हैं तो सेवानिवृत्त कर्मचारी से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को तथा सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी से सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्राथमिक लाभार्थी सदस्यता परिवर्तित करने के विकल्प को अंस्वासेयो के लिए 10 वर्षों के अंशदान के बराबर जीवनकाल के अंशदान का भुगतान करके अनुमति दी जाए तथा इन 10 वर्षों की गणना ऐसे विकल्प तिथि से की जाएगी। "

"If husband and wife both are CHSS beneficiaries, an option may be allowed to shift prime beneficiary membership from retired employee to retiring employee and vice versa, by paying lifetime contribution towards CHSS, equal to 10 years' subscription and this 10 years period would be reckoned from the date of such option. "

2. पहले के निपटाए गए मामले दुबारा न खोले जाएं।
Past cases already settled may not be reopened.
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This has been issued with the approval of the Competent Authority.


(स्वाति पाण्डेय/Swati Pandey)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू)/Director (IR&W)

सभी अंस्वासेयो प्रशासनिक प्राधिकारी/All CHSS Administering Authorities

1. निदेशक, भापअकेंद्र, मुंबई /Director, BARC, Mumbai
2. निदेशक, आइजीकार, कलपाक्कम/Director, IGCAR, Kalpakkam
3. मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई/Chief Executive, HWB, Mumbai
4. मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद/Chief Executive, NFC, Hyderabad
5. केंद्र निदेशक, आरएपीएस, कोटा/Station Director, RAPS, Kota
6. केंद्र निदेशक, टीएपीएस, तारापुर/Station Director, TAPS, Tarapur
7. निदेशक, एएमडी/Director, AMD
8. निदेशक, आरआरकेट/Director, RRCAT
9. निदेशक, वीईसीसी/Director, VECC
10. निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल/Director (HR), NPCIL
11. प्रधान, चिकित्सा प्रभाग, भापअकेंद्र/Head, Medical Division, BARC
12. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल कलपाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

- प्रतिलिपि/Copy to :
- (1) अध्यक्ष का कार्यालय, परमाणु ऊर्जा आयोग/सचिव, पऊवि
O/o chairman, AEC/Secretary, DAE
 - (2) विशेष सचिव के प्रधान निजी सचिव, पऊवि
PPS to Special Secretary, DAE
 - (3) संयुक्त सचिव (आईएंडएम) के निजी सचिव, पऊवि
PS to JS(I&M), DAE
 - (4) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय समिति
Secretary, Staff Side, DC
 - (5) प्रशासनिक अधिकारी-III, भापाअके अस्पताल, भापाअके
AO-III, BARCH, BARC
 - (6) उप स्थापना अधिकारी, प्रशासन-I, भापाअकेद्र - भापाअकेद्र के
दिनांक 19/06/2012 के आईडी नोट सं. 32(1)/2007/ प्रशा.1/ओपीए-
51799 के संदर्भ में/ DEO, Admn-I, BARC- w.r.t. BARC ID Note
No. 32(1)/2007/ Admn.I/OPA-51799 dt. 19/06/2012
 - (7) सहायक निदेशक (राभा), पऊवि/Asst. Director (OL), DAE